Q-4

संख्याः 364-376 /सात–लाई0–नीति–31/आबकारी नीति–2012–13/

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांकःअप्रैल 25 ,2012

विषयः– **वर्ष 2012–13 (दिनांक 16.05.2012 से 31.03.2013 तक) की अवधि हेतु सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वर्ष 2012–13 **(दिनांक 16–05–2012 से 31–03–2013 तक)** की आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2012–13 हेतु सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के दिनांक 16.05.2012 से 31.03.2013 तक के लिये व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जा रहे हैंः–

1. वर्ष 2012–13 की घोषित आबकारी नीति के प्राविधानों के अनुसार किसी दुकान के लिए पूर्ण वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित राजस्व में से दिनांक 01–04–2012 से 15–05–2012 तक की अवधि में दुकान को चलाने से जमा राजस्व को घटाते हुये दिनांक 16–05–2012 से 31–03–2013 तक का दुकान का राजस्व निर्धारित किया जायेगा।
2. वर्ष 2012–13 के लिये घोषित आबकारी नीति **(संख्याः 327/XXIII/2012/01(36)/2011देहरादूनःदिनांक 25.04.2012)** तथा समाचार पत्रों में एवं उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट–"www.uk.gov.in" एवं "www.uttrakhandexcise.org" में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि तथा दुकान के राजस्व का निर्धारण विहित प्रकिया के अनुरूप किया जाय। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान के अनुज्ञापन शुल्क, न्यूनतम गारन्टीड अभिकर का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उपरोक्तानुसार जनपद की सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की सूची शासन की वेबसाईड–"www.uk.gov.in" एवं "www.uttrakhandexcise.org" जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा कलैक्ट्रेट, तहसील एवं उप–तहसील, विकासखण्ड तथा नगर पालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगायी जायेगी।
4. दुकान के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को कम्पयूटर में फीड किया जायेगा तथा एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करके आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिये निर्धारित हाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिन जनपदों में अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होंगे वहाँ अतिरिक्त स्टाफ तथा

2–

कम्पयूटर की व्यवस्था कराई जाएगी, जिस हेतु रू0 10,000/– तक खर्च दिया जा सकेगा।

5. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तहसीलवार दुकान की सूचना तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
6. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन समिति का गठन उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर दुकान व्यवस्थापन नियमावली के नियम–9 तथा देशी शराब की नियमावली के नियम–10 की निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः–

District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely:-

1. The Collector of the District	**Chairman**
2. One Gazetted Officer nominated by the Excise Commissioner	**Member**
3. The District Excise Officer of the District	**Member/Secretary**

इस कमेटी में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी क्लेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को फैक्स द्वारा प्रेषित करेंगे, ताकि नियमानुसार आबकारी आयुक्त द्वारा द्वितीय सदस्य की नियुक्ति की जा सके। उपरोक्तानुसार गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी होगी।

7. व्यवस्थापन के समय जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे व व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के अन्य सभी सदस्य भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
8. समिति के गठन की सूचना को व्यवस्थापन स्थल के अतिरिक्त जनपद के सभी जिला व तहसील कार्यालयों पर लगे सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
9. व्यवस्थापन के समय प्रेस के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जायेगा तथा व्यवस्थापन स्थल पर उनके बैठनें हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
10. यदि किसी दुकान के लिये निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आवंटन के लिये सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।
11. लाटरी के लिये जिला मुख्यालय पर किसी बडे हाल की व्यवस्था की जाय। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तहसीलवार दुकानों की सूचियां, सम्बन्धित दुकान को आवंटित कमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जाय। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार में कुछ

ऊचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाय कि सभी उपस्थित व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भलीभांति देख सकें, जिससे लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

12. एक व्यक्ति को केवल एक दुकान आवंटित की जा सकती है। अतः लाटरी हेतु पात्र आवेदकों का इस आधार पर निर्धारण लाटरी से पूर्व कर लिया जाय अर्थात किसी आवेदक के चयन के उपरान्त अगली लाटरी में उसका नाम सम्मिलित नहीं होगा।
13. जिन देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है,उनका आवंटन लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कर दिया जायेगा। दुकान की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिये लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम **(Descending Order)** में यह प्रक्रिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही क्रम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी।
14. लाटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा **6 से0मी0 × 6 से0मी0** की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्पयूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगाः–

मदिरा दुकान का नाम .....
मदिरा दुकान का प्रकार.....
आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या.....
आवेदक का नाम.....
जि0आ0अधि0 ना0 अधि0 जिलाधिकारी

15. पर्ची पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके प्रिन्ट किये जा सकते हैं किन्तु अन्य अधिकारी प्रत्येक पर्ची पर हस्ताक्षर करेंगे।
16. जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित व्यक्तियों में से रैन्डम आधार पर किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लाटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की गोल मोहर लगायी जायेगी। लाटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके ऊपर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
17. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को लाईसेंस फीस की समस्त धनराशि को तत्काल जमा कराना होगा। किन्तु यदि सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की दुकानों की लाईसेन्स फीस रू0 35.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में रू0 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त जमा करने के उपरान्त शेष धनराशि आवेदक के अनुरोध पर उसे माह सितम्बर, 2012 तक या उससे

पूर्व मासिक किस्तों में जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत 7 दिन के भीतर जमा कराना होगा। अवशेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के बराबर बैंक गारन्टी अथवा कैश दुकान व्यवस्थापन के 30 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा कराना होगा। प्रतिभूति (नकद/बैंक गारन्टी) विलम्ब से जमा करने पर 18 प्रतिशत दण्डक ब्याज देय होगा। लाईसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के प्राप्त बैंक ड्राफ्टों **(उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–आपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से दिनांक 25.04.2012 के बाद के बने बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे।)** को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कार्यवाही करा दी जायेगी।

18. दुकानों के व्यवस्थापन हेतु केवल उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–आपरेटिव बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के नाम दिनांक 25–04–2012 के बाद के बने बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे, प्राप्त ड्राफ्टों को जिला आबकारी अधिकारी अगले दिन सरकारी खजाने में जमा कराने हेतु भेज देंगे। इन ड्राफ्टों का पैसा ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करने के 7 दिन के भीतर सरकारी खजाने में प्राप्त हो जाना चाहिये पैसा 7 दिन के अन्दर सरकारी खजाने में प्राप्त न होने की दशा में 8 वें दिन से ड्राफ्ट की राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा व यदि यह राशि 15 दिन के भीतर सरकारी खजाने में नही आती है तो व्यवस्थापित दुकान को निरस्त भी किया जा सकता है।
19. यदि चयनित आवेदक उपरोक्तानुसार आवश्यक धनराशि तत्काल जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकतायें पूरी नहीं करता अथवा दुकान के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा लाईसेंसिंग प्राधिकारी आवंटन निरस्त कर दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही करेंगे।
20. दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही 15.05.2012 तक पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन दिनांक 16.05.2012 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन के दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, अनुज्ञापन स्वीकृति तथा लाटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, आदि सूचनाएं मौके पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाय।
21. आवेदक को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है।
22. अपने जनपद के बकायादारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाय।
23. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का विवरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के अगले दिन निर्धारित प्रारूप में आबकारी मुख्यालय भेजा जाना